

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण

वनाग

प्रतिवादीगण





शागराम पुज सोनाराम नाथक
निवासी - बुडाविना

कानाराम पुज मीटाराम नाथक

निवासी - लडपुरा

क्रिम मुकदमा - राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188

आर.टी.एक्ट.1955 मु0न0 19.7/2024

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नगर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुआ।
15/10/24	<p>अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलव किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
20/11/24	<p>अधिवक्ता वादीगण को पत्रावली के माध्यम से जमानत की रिपोर्ट प्राप्त हुई। सा.प्रि.टी.पत्र सं. 01 व 02 की तारीख से अधिवक्ता को पत्रावली के माध्यम से जमानत की रिपोर्ट पर जमानत प्रस्तुत की, जहाँ अधिवक्ता को रिपोर्ट में पत्रावली वाले पत्रों में वक्तव्य प्रस्तुत है। जमानत दिनांक 21/11/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
21/11/25	<p>अधिवक्ता वादीगण को पत्रावली के माध्यम से जमानत की रिपोर्ट प्राप्त हुई। सा.प्रि.टी.पत्र सं. 01 व 02 की तारीख से अधिवक्ता को पत्रावली के माध्यम से जमानत की रिपोर्ट पर जमानत प्रस्तुत की, जहाँ अधिवक्ता को रिपोर्ट में पत्रावली वाले पत्रों में वक्तव्य प्रस्तुत है। जमानत दिनांक 21/11/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;"> उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	<p>शागराम  कानाराम</p>